न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 98/अपील/2022 (GCMS No. 2022/210)	10.10.2022	19.05.2025

हुक्मा उर्फ हुकमी पुत्री पन्ना पत्नी नन्दलाल सैनी,
जाति माली निवासी बालाजी के पीछे, बहादुर सिंह सर्किल,
नैनवां रोड, बून्दी तहसील व जिला बून्दी (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1. चुन्नीबाई पुत्री पन्ना पति दुर्गालाल जाति माली,
   निवासी बहादुर सिंह सर्किल, नैनवां रोड, बून्दी
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी
3. चन्द्रकान्ता पत्नी रूपलाल जाति माली
   निवासी बहादुर सिंह सर्किल, नैनवां रोड, बून्दी
4. डालीबाई पत्नी स्व. नन्दलाल जाति माली
   निवासी बहादुर सिंह सर्किल, नैनवां रोड, बून्दी
5. भूरीबाई पत्नी अमरलाल जाति माली
   निवासी बहादुर सिंह सर्किल, नैनवां रोड, बून्दी
6. मोहनीबाई पत्नी सत्यनारायण जाति माली
   निवासी बहादुर सिंह सर्किल, नैनवां रोड, बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री आशुतोष शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 2 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पो.सं. 3 लगायत 6 की ओर से श्री निखिल शर्मा, एडवोकेट।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 2955 दिनांक 23.05.2022 वाके ग्राम देवपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 20.02.2022 की पालना में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 98/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/210 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं.1 द्वारा दिनांक 29.07.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात वकील रेस्पो.सं.1 द्वारा दिनांक 17.09.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश किया गया। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील विषयक आराजी के वर्तमान खातेदारान को रेस्पो.सं. 3 लगायत 6 पर इस अपील में पक्षकार बनाया गया। रेस्पो.सं.3 लगायत 6 की ओर से दिनांक 03.02.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलांट की ओर से दिनांक 09.01.2023 को प्रार्थना पत्र वास्ते तलब किये जाने असल निर्णय की सत्यप्रति पेश किया गया। इस क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय की छायाप्रति में वर्णित उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के निर्णय दिनांक 25.04.2014 की प्रमाणित प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी से चाही गई। उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.09.2024 से प्रेषित सूचना में उक्त दिनांक 25.04.2014 को उनके न्यायालय में कोई निर्णय जारी होना नहीं पाया गया। तत्पश्चात निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को उनके निर्णय दिनांक 20.02.2022 की प्रमाणित प्रति भिजवाने हेतु लिखा गया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक 1317 दिनांक 16.05.2025 से अवगत कराया कि प्रकरण संख्या अपील डिकी/टीए/5186/2015/बून्दी उनवान चुन्नीबाई बनाम राजस्थान सरकार का कोई प्रकरण राजस्व मण्डल में दर्ज नहीं होना पाया गया।

तत्पश्चात बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम देवपुरा की भूमि खसरा सं. 15 रकबा 1.7303 हैक्टेयर अपीलांट हुकमा व रेस्पो.सं.1 चुन्नीबाई जो आपस में बहनें है, की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त पेतृक भूमि अपने पिता से विरासत में दोनों पुत्रियों पक्षकारान को समान भाग में प्राप्त हुई है किन्तु दिनांक 23.05.22 को रेस्पो.सं. 2 ने नामान्तकरण प्रविष्टि सं. 2955 द्वारा उक्त भूमि में से अपीलांट की खातेदारी विलोपित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदार अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर सम्पूर्ण भूमि रेस्पो.सं. 1 चुन्नीबाई के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। उक्त प्रविष्टि प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट को उक्त प्रविष्टि की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.09.22 को बून्दी तहसील कार्यालय में जाने पर हुई, तब आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश कर नकल प्राप्त की जाकर यह अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य पेश की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि उक्त नकल नामान्तकरण को देखने के बाद अपीलांट को मालूम हुआ कि नामान्तकरण संख्या 2955 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण सं. 5186/2015 निर्णय दिनांक 20.02.2022 की पालना में तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किया गया है। राजस्व मण्डल अजमेर का उक्त निर्णय दिनांक 20.02.2022 रविवार को पारित होने से तथा निर्णय में उल्लेखित सदस्य कभी भी राजस्व मण्डल में पदस्थापित नहीं रहने से अध्यक्ष, राजस्व बार संघ, अजमेर द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत उक्त दस्तावेज कूटरचित होने से जांच करवाये जाने का निवेदन किया गया। राजस्व मण्डल द्वारा मामलें की जांच करवाई गई। तब इस षड़यंत्र के बारे में समाचार पत्रों में भी खबर छपी थी, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कूटरचित निर्णय के आधार पर गुपचुप तरीके से तस्दीक किये गये अपीलाधीन अवैध नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 20.02.2022 की पालना में तस्दीक किया गया है। न्यायालय के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई। यदि अपीलांट राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय से असंतुष्ट है तो अपीलांट द्वारा उसकी अपील सक्षम स्तर पर करनी चाहिए थी। यहां नामान्तरकरण की अपील में राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता है। वकील रेस्पो.सं.1 द्वारा अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 3 लगायत 6 द्वारा कथन किया गया कि रेस्पो.सं. 3 लगायत 6 वर्तमान में अपील विषयक आराजी पर खातेदार काश्तकार है। अपीलांट द्वारा रेस्पो. के विरूद्ध एक वाद सं. 75/2022 बाबत अवैध व शून्य घोषित किये जाने दानपत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम सं.3 बून्दी में पेश किया हुआ है जो वर्तमान में लम्बित है। ऐसे में जब तक उक्त दानपत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता, तब तक रेस्पो.सं. 3 लगायत 6 के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा सं. 15 रकबा 1.7303 हैक्टेयर हुकमा पुत्री पन्ना जाति माली हिस्सा 1/2 एवं चुन्नीबाई पत्नी दुर्गालाल जाति माली हिस्सा 1/2 **सरकार खातेदार** दर्ज रेकार्ड थी। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 20.02.2022 की पालना में चुन्नीबाई पुत्री पन्ना पति दुर्गालाल हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 2955 दिनांक 23.05.2022 तस्दीक किया गया। इस संबंध में अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि राजस्व मण्डल के जिस निर्णय के आधार पर उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया, वह निर्णय कूटरचित है। उक्त निर्णय दिनांक 20.02.2022 कलेण्डर में रविवार होने एवं उक्त निर्णय की छायाप्रति में वर्णित उपखण्ड अधिकारी, बून्दी का निर्णय दिनांक 25.04.2014 की प्रमाणित प्रति चाहे जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी से उक्त तिथि को कोई निर्णय पारित नहीं होना जाहिर आया। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय प्रथमदृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने से इस न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से निर्णय दिनांक 20.02.2022 की प्रमाणित प्रति चाही गई। जिसके क्रम में अतिरिक्त निबंधक (न्याय) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक 1317 दिनांक 16.05.25 से अवगत कराया गया कि इस मामले में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 23.11.22 को अति.जिला कलक्टर बून्दी को पत्र लिखा गया था कि उक्त दस्तावेज कूटरचित पाये गये, जिसकी जांच करे। इस क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी द्वारा जांच की जाकर तैयार जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.22 अनुसार तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में श्रीमती चुन्नीबाई के विरूद्ध मुकदमा थाना कोतवाली बून्दी में परिवाद क्रमांक 1192 दिनां 30.11.22 पर दर्ज करवाया गया। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्था, अजमेर में प्रकरण अपील डिकी/टीए/5186/2015/बून्दी उनवान चुन्नीबाई बनाम राजस्थान सरकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना पाया गया है बल्कि इस नम्बर पर अर्थात दर्ज प्रकरण सं. प्रार्थनापत्र एलआर/2015/5186/राजसमन्द उनवान लक्ष्मणदास बनाम कमलेश निर्णय दिनांक 01.09.15 दर्ज होना पाया गया है।

जिला कलक्टर; बून्दी

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या अपील डिक्री/टीए/5186/2025/बून्दी उनवान चुन्नी बाई बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर एवं निर्णीत नहीं होने से अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित उक्त निर्णय दिनांक 20.02.22 कूटरचित प्रमाणित होता है। कूटरचित अवैध दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं0 2955 दिनांक 23.05.2022 विधिविरूद्ध होने से स्वतः निरस्तनीय है। ऐसे में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2955 दिनांक 23.05.22 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त अस्तित्वहीन नामान्तरकरण के आधार पर बाद में दर्ज की गई प्रविष्टियां स्वतः निरस्तनीय होने से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की दिनांक 23.05.2022 से पूर्व की स्थिति यथावत बहाल की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय मोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी